भारतीय महिलाओं की स्थिति : गाँधी काल के विशेष संदर्भ में

अनामिका कुमारी

एम.ए., यू.जी.सी. नेट (इतिहास)

महिला और पुरूष समाज के ऐसे दो हिस्से हैं। जिसके बिना समाज का निर्माण असंभव है। देश के निर्माण में पुरूषों के साथ–साथ महिलाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज की महिलाओं की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। महिलाओं की स्थिति वह सपना है जो सभ्य समाज की दशा व दिशा को स्पष्ट करता है। परन्तु अधिकांश समाजों की भांति भारतीय समाज में भी पूर्ण महिला–पुरूष समानता कभी भी विद्यमान नहीं रही है। महिला जो सदा जीवन का मूल आधार रही है। उसे पुरूष ने कभी समाज में यथोचित स्थान नहीं दिया।[1] हमारा भारतीय समाज आज भी पुरूष प्रधान समाज है। बीते युग से आज की तुलना करें तो महिला के दायरे फैले जरूर हैं। लेकिन अभी भी महिला के लिए सीमाएँ मिटी नहीं है। पुरूष प्रधान समाज में आज भी उसका शोषण हो रहा है। हालांकि महिला–पुरूष समाज निर्माण के दो ऐसे पहिये हैं कि जिनमें से यदि एक पहिया टूट जाए या पीछे रह जाए तो एक सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पुरूष के अभाव में महिला एवं महिला के बिना पुरूष दोनों ही अपूर्ण माने जाते हैं। इसी कारण से हिन्दू भारतीय समाज में महिला को पुरूष की अर्द्धांगिनी कहा गया है। परन्तु व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो आज भी भारतीय समाज में नारी को अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाया है। घर–परिवार में आज भी उसे समानता के नजरिये से नहीं देखा जाता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को व्यवहारिक रूप से वे अधिकार नहीं मिल सके हैं जो पुरूषों को समाज व घर परिवार से मिले हुए हैं।[2] हालांकि भारतीय संविधान ने पुरूष व महिला को समानता प्रदान की है और महिलाओं को काफी हद तक यह सफलता मिली भी है परन्तु बहुत सी भारतीय महिलाओं के लिए यह संभव नहीं हो पाया है। भारतीय महिलाओं की स्थिति को संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त शिक्षा, समाज व्यवस्था, धन, परिवार आदि कई अन्य कारक भी निर्धारित करते हैं।

विभिन्न कालखण्डों में महिलाओं की स्थिति भिन्न–भिन्न रही है। वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में जहाँ भारतीय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। उस काल में महिलाओं का उत्कृष्ट स्थान था। महिलायें जीवन के हर क्षेत्र में समान रूप में आदृत व प्रतिष्ठित थी। वहीं मध्यकाल में महिलाओं का अधिकार समान रूप से नहीं था। मुगलों के आक्रमण और बड़ी संख्या में लोगों का प्रवासन तथा देश में आर्थिक मंदी आदि ने देश में विशेष रूप से महिलाओं के पतन में योगदान किया। इन सभी के बावजूद भारत में महिला लगातार संघर्षरत रही। इस अध्ययन में हम मुख्य रूप से गांधी काल में महिलाओं की स्थिति का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

गांधी काल में महिलाओं की स्थिति

गांधी काल (1920–1947) में महिलाओं की दशा इतनी दयनीय हो गई थी कि उसके सभी प्रकार के अधिकार एवं स्वतंत्रता की समाप्ति कर दी गई थी। महिला के प्रति समाज में भी दिनों–दिन कठोर व्यवहार होता चला गया। उसको अपना जीवन जीने के लिए कदम–कदम पर नियमों का सामना करना पड़ता था। उसे हीन एवं निम्न भावना से देखा जाने लगा। महिला के व्यक्तित्व का तो कोई मूल्य ही नहीं रहा। महिला की स्थिति केवल पुरूषों के लिए एक गुलाम की ही बन कर रह गई थी। महिला को पिता के घर में बोझ एवं पति के घर में बच्चे पैदा करने एवं परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा करने वाली दासी के रूप में ही समझा जाने लगा। महिलाओं को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं थी। भारतीय समाज के अंदर महिला अपनी सभी क्षेत्रों पर स्वतंत्रता एवं अधिकार खो चुकी थी। महिला में किसी भी प्रकार का विद्रोह करने की चेतना एवं शक्ति समाप्त हो चुकी थी। स्त्री–पुरूष की समानता समाज व परिवार के बीच से समाप्त हो चुकी थी।[3] महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों को करने के लिए एवं बच्चों के लालन–पालन

के लिए ही उपयोगी माना जाने लगा। वह परिवार एवं समाज में पुरूष के लिए एक वस्तु बनकर रह गई थी। जो सिर्फ पुरूष के लिए उपभोग एवं मनोरंजन मात्र बन कर रह गई। केवल घरेलू कार्यों में ही व्यस्त रहना उसका कर्तव्य माना गया। बाल्यावस्था में पिता के, यौवनावस्था में पति के एवं वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहकर जीवन यापन करना ही उसकी नियति बन गई।

वह पुरूष के अधीन होकर रह गई थी। उससे उसकी सारी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। वह शिक्षा प्राप्त करने जैसे अधिकार को खो चुकी थी। पति सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य माना गया। वह बिना इजाजत के बाहर नहीं जा सकती थी। जाती भी थी तो पर्दे में। इन रूढ़िवादी उपदेशों के प्रभाव से महिला अपना अस्तित्व भूलती जा रही थी। पति एवं पुत्र की सेवा करना ही उसका 'धर्म' बना दिया। जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था एकपक्षीय हो गई। ये रूढ़िवादी नियम तथा परम्परा आदर्श माता द्वारा पुत्री को निरंतर हस्तांतरित होते चले गए धर्म के वास्तविक रूप को महिला द्वारा कभी न समझ पाने का एक मात्र कारण अशिक्षा थी। अशिक्षा से महिलाओं का जीवन स्तर अपने परिवार तक सीमित हो गया। पति एवं परिवार द्वारा दिए गए धार्मिक उपदेश ही उनकी एक मात्र शिक्षा थी। शिक्षा के अभाव के कारण वह अपने अधिकारों से भी वंचित होती चली गई। उसे समाज एवं सामाजिक गतिविधियों की कोई खबर नहीं होती थी।

उत्तर वैदिक काल के बाद से जब महिलाओं के सम्पत्ति संबंधी अधिकार समाप्त हो गए, तो वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूपेण पुरूषों पर आश्रित हो गई। इस स्थिति में महिलाओं का शोषण होने पर भी वे परिवार की सदस्यता नहीं छोड़ सकती थी। अशिक्षा ने उनकी इस स्थिति में और भी सहयोग दिया। अशिक्षा के कारण उनका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना संभव ही नहीं हो सका। पति के समक्ष ही आर्थिक सहयोग के लिए समर्पण करना पड़ता था। पुरूष प्रभुत्ता को हिन्दू परम्परा ने आदर्श रूप प्रदान किया। अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को पूर्णतः सहन करने के लिए महिला की पुरूष पर आत्मनिर्भरता ही एक प्रमुख कारण है। इस स्थिति में अधिकारों की मांग करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय समाज पर अपना आधिपत्य कर लिया था। पुरूष वर्ग स्वयं उनके शोषण का शिकार थे। ऐसी स्थिति में पुरूषों के अधीन रहने वाली घरेलू महिला आर्थिक रूप से कैसे निर्भर हो सकती थी। उनकी स्थिति और भी अधिक दयनीय होती चली गई।

गांधी काल में कन्या को एक वस्तु समझा जाने लगा। जिसका की दान किया जाता था जिस प्रकार दान में दी गई वस्तु पुनः वापस नहीं ली जाती है और न ही पुनः दान में दी जाती है तथा दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग कर सकता था। अतः महिलाएँ भी एक निर्जीव वस्तु बनकर रह गई। इस तरह कन्यादान संबंधी विश्वास, जो कि वैदिक काल में एक आदर्श था कि एक अभिशाप बनकर महिलाओं का जीवन निरथक बनाने लगा। ससुराल में पहुँचकर केवल पति सेवा एवं ससुराल वालों का ध्यान रखना ही उसका धर्म बन गया। उसके सारे अधिकार छीन लिए गए थे। वह पूर्ण रूप से अपने पति के अधीन हो चुकी थी। संयुक्त परिवार के अंतर्गत परिवार की देखरेख घर का मुखिया ही करता था। क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में परिवार की बागड़ोर का भार पिता अर्थात्(पुरूष) पर ही होता था। आर्थिक रूप से व परिवार की अन्य जिम्मेदारी सभी पुरूष के ऊपर होती थी। महिला तो केवल उसकी आज्ञा प्राप्त कर कार्य करती थी। गांधी काल में भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति कुछ परम्परागत रूढ़िवादी कुरीतियाँ समाज में विद्यमान थीं जिनके कारण समाज में महिला की स्थिति अत्यंत निम्न, दयनीय एवं शोचनीय होती चली गई। वे कुरीतियाँ निम्नलिखित हैं :

बाल विवाह :

गांधी काल में महिला की सामाजिक स्थिति काफी शोचनीय और दयनीय हो चुकी थी। उससे संबंधित समाज में कई कुरीतियाँ उत्पन्न हो चुकी थी। उनमें से बाल–विवाह जैसी कुरीति नारी के विकास में काफी हद तक बाधा उत्पन्न करने में सक्षम थी। पुरूष अपनी पूर्ति के लिए महिलाओं का अपहरण कर ले जाते थे। जिससे

वह डर के कारण स्वतंत्रता पूर्वक घर से नहीं निकलती थी। माता–पिता उन्हें घर की चारदिवारी से बाहर नहीं निकालते थे। जिसका असर उनकी शिक्षा पर बहुत गहरा पड़ा इसलिए वह घर पर ही रहने लगी। जिसके कारण उनकी अल्पायु में विवाह होने लग गया। 5–6, 7–8 वर्ष तक की उम्र आते–आते माता पिता डर के कारण उनके विवाह कर देते थे। विवाह के अंतर्गत जीवनसाथी चुनने के लिए उन्हें कोई अनुमति नहीं मिलती थी। समाज में बाल विवाह जैसी कुरीति अपनी पकड़ जोरों से पकड़ने लगी थी। बाल विवाह के कारण भी महिलाएँ शिक्षा से वंचित हुई तथा कम उम्र में अनेक जिम्मेदारियाँ उन पर आ जाने के कारण स्वयं का विकास अवरूद्ध हुआ तथा वे पति व उसके परिवार पर पूर्णतः निर्भर हो गई।

सती प्रथा :

गांधी काल में महिलाओं की दयनीय स्थिति को और अधिक निम्न एवं हीन समाज में व्याप्त सती प्रथा ने बना दिया। जिन लड़कियों का पति शादी के बाद मर जाता था उन्हे अपने पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। जो महिलाएँ अपने पति के साथ सती नहीं होती थी। उनके साथ समाज में बहुत बुरा बर्ताव होता था। इन महिलाओं का जीवन नरक बन जाता था। वे चाहे ससुराल में रहती या फिर चाहे पिता के साथ उनकी स्थिति दासियों के समान होती थी। वह घर की चारदीवारी में कैद होकर रह जाती थी। उन्हें किसी से मिलने की स्वतंत्रता नहीं होती थी। वह किसी भी उत्सव या शुभ कार्यों में भाग नहीं ले सकती थी। पति की मृत्यु के बाद सती हो जाना पतिव्रत–धर्म की सर्वोच्च परीक्षा मानी गई। इस कुरीति को धार्मिक आवरण प्रदान कर बढ़ावा दिया गया। सतियों की पूजा की जाने लगी। उन्हें देवी स्वरूप माना जाता था। पति की मृत्यु के बाद महिलाएँ दूसरा विवाह नहीं कर सकती थीं व उन्हें या तो विधवा बन कर रहना पड़ता था या फिर सती होना पड़ता था। गर्भवती व पुत्रवती महिला को सती नहीं किया जाता था। उनकी रक्षा उनके पुत्र करते थे।

विधवा विवाह निषेध :

गांधी काल में विधवाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी। महिला के पति के मर जाने के बाद या तो उन्हें उनकी चिता के साथ जिंदा जल जाना होता था या फिर अपना पूरा जीवन सन्यासिनी की तरह अकेले गुजारना पड़ता था। वह एक दम सादा जीवन, जीने के लिए मजबूर हो जाती है। उसका जीवन एक नरक के समान हो जाता है। वह किसी भी बाह्य या परिवार के अन्य सदस्य से नहीं मिल सकती थी। उसे कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। विधवा महिला को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उन्हें घर के अंदर ही कैद करके रखा जाता था। उन्हें कई प्रकार के शोषण का शिकार भी होना पड़ता था।

बहु विवाह :

गांधी काल में बहु विवाह जैसी कुप्रथा भी समाज में प्रचलित थी। जिससे महिला समाज के अंदर अपना सम्माननीय एवं आदरणीय स्वरूप खोती जा रही थी। वह पुरूष की दासी के समान बन कर ही रह गई थी। गांधी काल में उच्च वर्गीय व्यक्ति एक से अधिक महिलाओं से विवाह करते थे। सामान्यतः एक व्यक्ति के तीन या चार महिलाएँ होती थी। यदि पत्नी से पुत्र प्राप्ति न हो तो आर्थिक रूप से साधारण स्थिति वाले लोग भी दूसरा विवाह कर लेते थे। अधिक धनवान एवं असीमित धन संपत्ति रखने वाला उच्च वर्ग अपनी विलासिता हेतु एक से अधिक विवाह कर महिला को केवल भोग विलासिता वस्तु बनाकर रखने में अपनी कुल की शान समझते थे।

पर्दा प्रथा :

गांधी काल में कई सामाजिक कुरीतियाँ महिलाओं के विरूद्ध समाज में अपनी पकड़ बनाती जा रही थी। पर्दा प्रथा भी उनमें से एक कुप्रथा थी।79 मुसलमान अपने साथ पर्दा प्रथा लेकर आए थे। मुसलमानों में

पर्दा–प्रथा का कठोरता से प्रचलन था। भारत में आने पर उन्होंने इस पर पहले से भी अधिक दृढ़ता से आचरण किया। भारतीयों ने अपनी महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए पर्दा प्रथा को अपनाया। हिन्दू और मुसलमान दोनों परिवारों में पर्दा प्रथा पाई जाती थी और उसे सामाजिक प्रतिष्ठा का एक अंग समझा जाने लगा था। महिलाएँ घर के बाहर बहुत कम निकलती थी और यदि निकलती भी थी तो पर्दे में। यदि कभी कोई कुलीन महिला थोड़े समय के लिए भी वेपर्दा होती तो उसे इसकी कड़ी सजा भुगतनी पड़ती थी। महिला का जीवन घर की चार दीवारी में ही कैद होकर रह गया। पर्दा प्रथा का विकास तो इस सीमा तक हुआ कि परिवार के अन्य सदस्य तो दूर, पति स्वयं भी किसी अन्य के सामने अपनी पत्नी का मुँह नहीं देख सकता था। ससुराल के बाकी लोगों से भी पर्दा करना पड़ता था। जो महिला पर्दा नहीं करती थी, उसे समाज के अंदर सही रूप से नहीं देखा जाता था।

दहेज प्रथा :

वैदिक काल में माता–पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय उसे उपहारस्वरूप कुछ आवश्यक वस्तुएँ देते थे। लेकिन बाद में इस रिवाज ने एक कुरीति का रूप धारण कर लिया। जिससे लोग पुत्री जन्म से ही डरने लग गए। गांधी काल के आते–आते लड़कियों के विवाह जल्द हो जाते थे। विवाह तय करना माता–पिता या निकट संबंधियों का काम था। दहेज की मांग होती थी और वह दिया भी जाता था। वधु पक्ष वर पक्ष वालों को धन देते थे। कभी–कभी नौजवान धन के लोभ में एक से अधिक विवाह भी कर लेते थे। जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। दहेज प्रथा के कारण महिलाओं को समाज और परिवार में एक भार के रूप में समझा जाने लगा। पुत्री के विवाह की समस्या माता–पिता के लिए बड़ी हो गई, इसलिए वे सोचते थे कि कैसे भी हो उनकी पुत्री का विवाह हो जाए। अच्छे बुरे वर के चुनाव का महत्व घट गया। कन्या वर–पक्ष को लाभप्रद वस्तु नजर आने लगी। प्रत्येक त्यौहार पर या अन्य संस्कारों पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को कुछ धन एव ंउपहार देना आवश्यक कर दिया गया। जिसके पीछे एक मात्र उद्देश्य कन्या पक्ष से अधिक–अधिक मात्रा में उपहार या धन प्राप्त करना होता था। इस तरह कन्या अपने माता–पिता के लिए भार सिद्ध हुई। अतः इस प्रकार दहेज प्रथा ने भी महिलाओं का सामाजिक स्तर गिराने में काफी हद तक भूमिका निभाई।

कन्या वध :

महिला की समाज में स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके जन्म को भी परिवार में अशुभ व बुरा माना जाता था। उसे जन्म लेते ही मार दिया जाता था। उसके जन्म पर परिवार में शोक उत्पन्न हो जाता था। जिस महिला के बार–बार पुत्री होती थी। उस महिला को परिवार वाले तरह–तरह से यातनाएँ देते थे। उसे परिवार में सम्मान प्राप्त नहीं होता था। उस पर अत्याचार होते रहते थे। उसके स्वास्थ्य का किसी भी तरह से कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। दहेज प्रथा के अतिरिक्त बालिकाओं का अपहरण भी कर लिया जाता था और उसके साथ दुराचार कर वेश्यावृत्ति पर मजबूर कर दिया जाता था। जिससे भारतीय समाज में कन्या जन्म को बुरा माने जाना लगा तथा उन्हें जन्म लेते मार दिया जाने लगा।

अशिक्षा :

गांधी काल के आते–आते लड़का एवं लड़की की शिक्षा में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जिससे समाज में महिला शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता चला गया। महिला को माता–पिता घर से ही बाहर नहीं निकलने देते थे। उसे घर की चारदीवारी में ही रखा जाने लगा। जिसका सीधा प्रभाव उसकी शिक्षा पर पड़ने लगा। शिक्षा के अभाव के कारण उसका जल्द ही विवाह होने लगा। जिसके कारण उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता था। वह धीरे–धीरे अंधकारमय जीवन की ओर जाती जा रही थी। वह समाज की सभी गतिविधियों से

दूर होती चली गई। उसे किसी भी बाहरी जन से मिलने की स्वतंत्रता नहीं थी। शिक्षा के अभाव के कारण समाज के अंदर लड़के एवं लड़की के बीच एक बहुत बड़ा अंतर आ गया। उसका जीवन शिक्षा के अभाव के कारण अत्याचार, उत्पीड़न एवं शोषण से युक्त हो गया।

देवदासी प्रथा और वेश्यावृत्ति :

पुत्री का जन्म माता–पिता के लिए चिंता का विषय बन गया था। दरिद्र परिवार की कन्याओं को देवदासी के रूप में चयन किया जाता था। उस कन्या को जीवन पर्यन्त मंदिर में रहकर मंदिर की देखभाल एवं सफाई करनी पड़ती थी। मंदिर का पुजारी उस कन्या का संरक्षक होता था। कन्या को जीवन भर उस पुजारी की भी सेवा करनी पड़ती थी। गांधी काल में इस सामाजिक कुरीति ने कन्या जन्म को और भी अशुभ एवं अपमान जनक बना दिया था। समाज में छोटी–छोटी कन्याओं को भी बोझ की दृष्टि से देखा जाता था। महिला कामवासना की तृप्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं थी इसके अंतर्गत सुन्दर जवान लड़की को मंदिर में रखा जाता था। वही भगवान की पूजा इत्यादि किया करती थी। लेकिन धनवान एवं अमीर वर्ग के लोग एवं मंदिर के पुजारी ही इसके स्वामी होते थे। वह उन्हीं के लिए पूजा करती थी। पूजा, उत्सव आदि के समय पर वह उनके लिए गाना गाती व नाचती थी। वह उनकी निजी संपत्ति वन कर रह गई थी। धर्म के नाम महिला का शोषण होता रहता था। जिससे महिलाओं की स्थिति में और भी गिरावट आ गई उन्हें और भी हीन व निम्न समझा जाने लगा। समाज में भी महिलाओं का स्थान निम्न हो गया था। महिला केवल भोग–विलासिता, कामवासना को पूर्ण करने वाली एक वस्तु बन कर रह गई थी। जिससे समाज के अंदर वेश्यावृत्ति जैसी कुप्रथा प्रचलित हुई। वेश्यावृत्ति समाज का एक अंग बन गई। कोई महिला स्वतंत्रता पूर्वक घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। वह डर और भय के कारण घर की चारदीवारी तक ही अपने जीवन को सीमित करके रह गई। वह शिक्षा से एवं समाज के सभी क्षेत्रों से अंजान बन कर रह गई।

अज्ञान के वशीभूत भारतीय समाज ने इन्हीं कुरीतियों और मिथ्यावाद को भारतीय संस्कृति का अंग समझा। नवीन शासकों के कानून, रीति–रिवाज व प्रथाओं ने महिला की स्थिति को और दयनीय बना दिया। जिससे उसकी सामाजिक स्थिति व गरिमा पर काफी आघात पहुँचा। महिला स्वतंत्रता पूर्णया समाप्त हो गई। गांधी काल में महिला घर की चार दीवारी तक ही सीमित होकर रह गई। उसे शिक्षा जैसी जरूरी आवश्यकता से भी दूर रखा गया। वह शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकती थी। जिसके अभाव के कारण वह सामाजिक सभी क्षेत्रों से पिछड़ती चली गई। सामाजिक एवं धार्मिक रीति–रिवाजों ने महिला की स्थिति को दुःखद मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। वह पुरूष के इशारे पर चलने वाली एक कठपुतली बन कर रह गई थी। उसका सम्मानीय अस्तित्व खो चुका था। जो महिलाएँ अनपढ़, अंधविश्वासी, धार्मिक विश्वास की प्रवृत्ति वाली होती थीं उन्होंने भी महिला की दयनीय स्थिति बनाने में सक्रिय योगदान दिया। पुरूष को देवतातुल्य स्थान दिया गया और परिवार में महिला का दर्जा एक दासी के समान समझा जाता था। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति और भी खराब होती चली गई।

संदर्भ सूची

[1] कमलेश कटारिया : नारी जीवन : वैदिक काल से आज तक, यूनिक ट्रेडर्स प्रकाशन, जयपुर, 2009, पृ.सं. –40

[2] बी.एन. सिंह : आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण, रावत पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2010, पृ.सं.–25

[3] प्रीति मिश्रा : हिन्दू महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्व , अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005, पृ.सं.–44

[4] आशा रानी व्होरा : औरत कल आज और कल, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, 2005, पृ.सं.–30

[5] सुभाष चन्द्र गुप्ता, कार्यशील महिलाएँ एवं भारतीय समाज, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2004, पृ. सं.–55

[6] सुशीला अग्रवाल : स्टेट्स ऑफ वुमेन , पिन्टवेल वाचस्पति पब्लिशर्स, जयपुर, 1998, पृ.सं.–69

[7] प्रभा आप्टे : भारतीय समाज में नारी, क्लासिंक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1996, पृ.सं.–24

[8] आशा रानी व्होरा : औरत कल आज और कल, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, 2005, पृ.सं.–60

[9] रामप्रसाद व्यास और मनोरमा उपाध्याय, भारतीय नारी : परिवर्तन एवं चुनौतियाँ, राजस्थानी ग्रंथागार, जयपुर, 2009, पृ.सं.–50

[10] प्रीति मिश्रा : हिन्दू महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्व, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005, पृ. सं.–48

[11] प्रभा आप्टे : भारतीय समाज में नारी, क्लासिंक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1996, पृ.सं.–38

[12] संतोष यादव : उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति , प्रिन्टवैल पब्लिशर्स, जयपुर, 1987, पृ.सं.–58

[13] कमलेश कटारिया : नारी जीवन : वैदिक काल से आज तक, यूनिक ट्रेडर्स प्रकाशन, जयपुर, 2009, पृ.सं. –56

[14] रमेश सक्सेना : गांधी एक अध्ययन, विश्व भारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009, पृ.सं.–218